न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2576/III/2014 – विरुद्ध आदेश दिनांक 08.08.2014 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, छतरपुर – प्रकरण कमांक 280 अ–12/2004–05 निगरानी

विहारीलाल गुप्ता पुत्र मातादीन गुप्ता
निवासी रोजगार कार्यालय के पास
किशोर सागर छतरपुर, जिला छतरपुर ------आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि रामस्वरूप अग्रवाल
रोजगार कार्यालय के पास छतरपुर ------अनावेदिका

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 9 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण कमांक 280 अ–12/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08–08–2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार छतरपुर के यहॉ आवेदन देकर मौजा छतरपुर की भूमि सर्वे कमांक 3166 पर स्थित उसके मकान 30 X 40 वर्गफुट के सीमांकन की मांग की। पटवारी हलका नंबर 38 छतरपुर ने तहसीलदार छतरपुर को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार छतरपुर ने प्र.क. 34 अ–12/ 04–05 में आदेश दि. 25.2.05 पारित किया एंव पटवारी व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी कमांक

280/अ-12/04-05 प्रस्तुत हुई। सुनवाई के दौरान आवेदक ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि मध्य प्रदेश शासन ने मान. उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपील प्रस्तुत की है इसलिये अपील के निराकरण तक निगरानी प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अपर कलेक्टर छतरपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 8.8.14 से उक्त आपत्ति अमान्य कर मान. उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही न रोकते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने से पाया गया कि यह सही है कि तहसीलदार छतरपुर ने प्र.क्र. 34 अ-12/ 04-05 में आदेश दि. 25.12.2005 पारित करके पटवारी व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन स्वीकार किया, जो आवेदक के हित में है। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका एंव हरीप्रकाश अग्रवाल ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी क्रमांक 280/04-05 प्रस्तुत की । इस निगरानी प्रकरण में आवेदक ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की, कि अनावेदकगण वादोक्त भूमि से हितबद्ध नहीं हैं इसलिये उन्हें निगरानी करने का अधिकार नहीं है। इस आपत्ति को अपर कलेक्टर छतरपुर ने अंतरिम आदेश दि. 26.9.05 से अमान्य कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी क्रमांक 8 अ-12/05-06 प्रस्तुत की, जो आदेश दि. 15.5.06 से अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निग. क्र. 1114-दो/2008

प्रस्तुत की, जो आदेश दि.26.11.2008 से ऑशिक रूप से स्वीकार कर केवल हरीप्रकाश अग्रवाल को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना गया। फलतः अपर कलेक्टर के निगरानी प्र.क्र. 280/04-05 अ-12 में अनावेदिका पक्षकार रह गई। विचार योग्य है कि जब आवेदक मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रचलित रहने का तथ्य बताकर अपर कलेक्टर से कार्यवाही रोके जाने की मांग कर रहा है, तब उसे मान. उच्च न्याया. जबलपुर के अपील प्रकरण में पारित आदेश की प्रति पुष्टिकरण में प्रस्तुत करना चाहिये, जो नहीं की गई। सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध प्रचलित निगरानी में कार्यवाही तभी रोकी जा सकती है, जबकि सक्षम न्यायालय से कार्यवाही रोके जाने के आदेश हों, किन्तु आवेदक अपर कलेक्टर को तदाशय का पुष्टिकरण नहीं करा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक तहसीलदार छतरपुर के आदेश का लाभ लेने के उद्धेश्य से विभिन्न न्यायालयों में निगरानी कर प्रकरण लम्बित बनाये रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्र.क्र. 280 अ-12/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दि. 8-8-14 में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 280 अ-12/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08-08-2014 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रहता हैं ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर